

प्रेषक,

ए0 पी0 सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
पर्यटन, उ0प्र0,  
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 18 जनवरी, 2019

**विषय-जनपद उन्नाव के गंजमुरादाबाद में स्थित सिद्धनाथ मन्दिर के पर्यटन विकास कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6127/6-1-1(831)/2018, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के गंजमुरादाबाद में स्थित सिद्धनाथ मन्दिर के पर्यटन विकास का कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्राजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-02/2017/2283/41-16-95 यो0/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा प्रदान की गयी रू0 85.45 लाख (रूपये पच्चासी लाख पैतालिस हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा आकलित अनुमानित बचत से उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत सत्संग भवन के लिए एक विश्राम कक्ष एवं एक 15 के0वी0ए0 का जनरेटर लगाये जाने के कार्य की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा स्वीकृत प्रायोजना की आगणित लागत के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 85.45 लाख (रूपये पच्चासी लाख पैतालिस हजार) में आकलित अनुमानित बचत से उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत सत्संग भवन के लिए एक विश्राम कक्ष एवं एक 15 के0वी0ए0 का जनरेटर लगाये जाने के कार्य की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत पूर्व शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों आदि का अनुपालन सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

करते हुए स्वीकृत प्रायोजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के पश्चात् ही वास्तविक रूप से प्राप्त बचत की धनराशि से प्रस्तावित कार्य संगत वित्तीय नियमों के अनुसार कराये जायेंगे। प्रस्तावित कार्य प्रायोजना की बचत की धनराशि के अन्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।

- (2) प्रायोजना में प्रस्तावित अतिरिक्त कार्यों की आकलित धनराशि का जनपद के लोक निर्माण विभाग के नवीनतम शिड्यूल आफ रेट के अनुसार परियोजना का संशोधित आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। संशोधित आगणन की एक प्रति महानिदेशक, पर्यटन एवं शासन को कार्यदायी संस्था द्वारा यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रस्तावित कार्यों में जिन कार्यों का शिड्यूल आफ रेट लोक निर्माण विभाग की सूची में उपलब्ध नहीं होगा, उन कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जायेगा।
- (3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अछादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्थाको अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
- (6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (7) प्रायोजना में प्रस्तावित अतिरिक्त कार्यो हेतु वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) एवं लेबर सेस आदि की धनराशि का वास्तविक भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा सम्भावित बचत की धनराशि से ही किया जायेगा।
- (8) प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन का होगा।

भवदीय,

(ए0 पी0 सिंह)

उप सचिव

**संख्या-27/2019/4363(1)/41-2018-95यो0/2016 दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्राजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
- 8- परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-8 लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
- 10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
- 11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
- 12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0 पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।